एम. आर. अग्निहोत्री जे. के समक्ष

सीता देवी,-याचिकाकर्ता,

बनाम

सचिव, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड,

पंचकुला, जिला अम्बाला,-प्रतिवादी

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 5290।

17 जनवरी, 1990

भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड ।।—पारिवारिक पेंशन योजना, 1964—पारिवारिक पेंशन की अनुदान–नियमित कर्मचारी की सेवा–ऐसी नियमित सेवा की अवधि–प्रासंगिकता–सिविल सेवा नियम–उद्देश्य–बताया गया।

यह निर्धारित किया गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड ।।, जो पेंशन आदि से संबंधित हैं, और पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पारिवारिक पेंशन केवल उन कर्मचारियों की विधवाओं या विधुरों को दी जाए जिनके मृत कर्मचारी नियमित रोजगार में थे। यह कि क्या नियोक्ता ने मृत कर्मचारी की सेवाओं को मृत्यु की तारीख से एक दिन पहले या दशक पहले नियमित किया था, पारिवारिक पेंशन के हकदार होने के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। एक बार जब कोई कर्मचारी पाँच वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर लेता है, तो नियमितीकरण पर पूरी सेवा नियमित हो जाती है और उसे पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए। किसी अन्य व्याख्या से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य को हराया जाएगा। (पैरा 4)

यहाँ याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करते हुए निम्नलिखित राहतें प्राप्त करने का हकदार होने का अनुरोध किया है:

(i) यहाँ के प्रतिवादियों को, एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा इस माननीय न्यायालय को मामले के पूरे रिकॉर्ड्स प्रसारित करने के लिए निर्देशित किया जाए;

(ii) प्रतिवादी-बोर्ड को याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तारीख अर्थात 11 जून, 1974 से पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान के लिए मैंडेमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(iii) मैंडेमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो प्रतिवादी-बोर्ड को निर्देशित करे कि वे याचिकाकर्ता को प्रत्येक महीने नियमित रूप से पारिवारिक पेंशन का भुगतान करें;

(iv) मैंडेमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट जारी किया जाए जो प्रतिवादी-बोर्ड को निर्देशित करे कि वे 'उदाहरणात्मक लागत' और उसके पति की मृत्यु की तारीख अर्थात 11 जून, 1974 से भुगतान की तारीख तक पारिवारिक पेंशन के बकाया पर 'ब्याज' का भुगतान करें;

(v) एनेक्सर P-1 से P-12 की प्रमाणित प्रतियों की फाइलिंग को छूट दी जाए, जो मूल की सच्ची प्रतियाँ हैं;

(vi) प्रतिवादी-बोर्ड पर इस रिट याचिका की प्रारंभिक सूचना और प्रतियाँ भेजने की सेवा को छूट दी जाए;

(vii) आपके महामहिमों को जो भी अंतरिम/या अंतिम राहत उचित और उपयुक्त प्रतीत होती है, वह भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए; और

(viii) इस वर्तमान रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील संजय बंसल।

प्रतिवादी की ओर से मनोहर लाल, अधिवक्ता।

निर्णय

म. र. अग्निहोत्री, ज.

1) इस निर्णय द्वारा, तीन सिविल रिट याचिकाएँ संख्या 5200, 6249 और 6250 का 1989 को निपटाया जाता है क्योंकि उनमें सामान्य कानूनी प्रश्न शामिल हैं; वह है, क्या हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के एक कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाना चाहिए या नहीं, अगर मृतक ने अपनी मृत्यु की तारीख से पहले एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी।

2) स्वीकार्य रूप से इन तीनों मामलों में, मृतक कर्मचारियों ने प्रारंभ में आकस्मिक/कार्य-आधारित कर्मचारियों के रूप में सेवाओं में शामिल हुए थे और बाद में निम्नलिखित विवरण के अनुसार नियमित किए गए थे: —

सीडब्ल्यूपी 5290/1989

मृतक शेर सिंह, याचिकाकर्ता सीता देवी : के दिवंगत पति	1 फरवरी को कार्य-आधारित लाइनमैन के रूप में सेवा में शामिल हुए और उनकी सेवाएँ 12 अक्टूबर, 1972 को नियमित की गईं, अर्थात्, इससे पहले कि वे 11 जून, 1974 को दिवंगत हुए।

सीडब्ल्यूपी 6249/1989

मृतक रामा कांत, याचिकाकर्ता राज : बाला के दिवंगत पति।	1 मार्च, 1977 को कार्य-आधारित ट्रेड्समैन मेट के रूप में सेवा में शामिल हुए और उनकी सेवाएँ 17 अप्रैल, 1982 को नियमित की गईं,

अर्थात्, इससे पहले कि वे 21 फरवरी, 1983 को दिवंगत हुए।

सीडब्ल्यूपी 6250/1989

मृतक वीरेंदर कुमार, याचिकाकर्ता : सिमला देवी के दिवंगत पति।	28 जुलाई, 1970 को कार्य-आधारित माली-सह-चौकीदार के रूप में सेवा में शामिल हुए और उनकी सेवाएँ 24 मार्च, 1984 को नियमित की गईं, अर्थात्, इससे पहले कि वे 19 मई, 1984 को दिवंगत हुए।

3) प्रतिवादी का अपने लिखित बयान में प्रस्तुत रुख यह है कि बेशक मृतक कर्मचारियों की सेवाएँ उनकी मृत्यु से पहले नियमित कर दी गई थीं, फिर भी उनके पास उनकी मृत्यु के समय पाँच वर्षों की सेवा नहीं थी। इसलिए, प्रतिवादी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक पेंशन के दावे को प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

4) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और जवाब की समीक्षा करने के बाद, मेरा विचार है कि प्रतिवादी द्वारा लिया गया रुख कानूनी दृष्टिकोण से पूरी तरह अस्थिर है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II, जो पेंशन आदि से संबंधित हैं, और पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पारिवारिक पेंशन केवल उन कर्मचारियों की विधवाओं या विधुरों को दी जाए जिनके मृतक कर्मचारी नियमित रोजगार में थे। चाहे नियोक्ता ने मृतक कर्मचारी की सेवाओं को मृत्यु की तारीख से एक दिन पहले या एक दशक पहले नियमित किया हो, पारिवारिक पेंशन के हकदार होने के उद्देश्यों के लिए यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है। एक बार जब कोई कर्मचारी पाँच वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर लेता है, तो नियमितीकरण पर पूरी सेवा नियमित हो जाती है और उसे पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए। किसी अन्य व्याख्या से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य को हराया जाएगा।

5) परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं और प्रतिवादी हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को पारिवारिक पेंशन देने के लिए उन्हें तुरंत उसके पात्र मानते हुए अनुदान प्रदान करें। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा